



केन्द्रीय विद्यालय संगठन)मु.(
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN) HQ)
18-संस्थागत एरिया,शहीद जीत सिंह मार्ग
18-INSTITUTIONAL AREA, SHAHEED JEET SINGH MARG,
नई दिल्ली/ NEW DELHI -110016
Telephone No -011-26858570.

सं.30-2/2023/KVS(HQ)Audit/ 2116 - 2168

दिनांक:- 17.07.2023

उपायुक्त,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
सभी क्षेत्रीय कार्यालय

विषय : केन्द्रीय विद्यालयों के विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संबंध में।

महोदया /महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में उल्लेख है कि के.वि.सं. की लेखा संहिता के अनुच्छेद-225 (b) के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट उपायुक्त के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने के पश्चात लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा संबन्धित विद्यालय एवं के वी एस (मु.) को प्रेषित किया जाना अपेक्षित होता है।

इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के माध्यम से भी लेखा परीक्षा रिपोर्ट को मुख्यालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु स्मरण कराया जाता रहा है, किन्तु कुछ संभागीय कार्यालयों द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों की लेखा परीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

अतः इस संबंध में यह अपेक्षित है कि आप संबन्धित वित्त अधिकारी को निर्देशित करें कि वे अपने संभाग के अधीन विद्यालयों की लेखा परीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट 30 दिनों के अंदर मुख्यालय को आवश्यक रूप से भेजना सुनिश्चित करें।

यह पत्र संयुक्त आयुक्त (वित्त) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

(ओ एस श्यौरान)
सहायक आयुक्त (वित्त)

प्रतिलिपि :

1. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन हेतु प्रेषित है।
2. संयुक्त आयुक्त(वित्त)/उपायुक्त (वित्त), के.वि.सं. (मु०) सूचनार्थ।
3. उपायुक्त (ई डी पी), के.वि.सं. (मु०) को वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

सहायक आयुक्त (वित्त)